<u>संख्या-33/2017/2853/78-2-2017-53आई0टी0/2012</u>

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव
राजस्व/पंचायतीराज/विकलांग कल्याण/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास/श्रम/खाद्य एवं रसद/नगर विकास विभाग/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

<u>आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2</u> <u>लखनऊ: दिनांक 6 नवम्बर, 2017</u>

विषय: जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रो से ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु प्राप्त यूजर चार्जेज के वितरण व्यय एवं शासकीय देयताओं की पूर्ति के संबंध में मार्ग निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्गत शासनादेश संख्या-992/78-2-2013-53आई.टी./2012 दिनांक 28 जून, 2013 के साथ संलग्न जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रो से ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु प्राप्त यूजर चार्जेज के वितरण व्यय एवं शासकीय देयताओं की पूर्ति के संबंध में निर्गत मार्गनिर्देश के ***प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-(iii) में लिपिकीय त्रुटिवश, सीईजी द्वारा उपरोक्तानुसार अपने खाते से अन्य सरकारी स्टेकहोल्डर्स के खातों में धनराशि सेवाकर की कटौती करने के उपरान्त अन्तरित की जायेगी, अंकित हो गया है,*** **के स्थान पर सीईजी द्वारा फण्ड ट्रासंफर में यदि बैंक द्वारा कोई चार्ज लिया जाता है तो वह सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स द्वारा अपने खाते में जमा हो रही धनराशि से वहन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त फण्ड ट्रासंफर में बैंक चार्जेज पर यदि सेवाकर इत्यादि लागू होगा, तो उसकी कटौती भी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के खातें में ट्रासंफर की जा रही धनराशि से की जायेगी (पूर्वगामी तिथि दिनांक 28-6-2013 से प्रवृत्त)।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त संशोधन को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा यह शासनादेश दिनांक 28-6-2013 से प्रवृत्त माना जायेगा। निर्गत किये जाने वाले इस शासनादेश पर वित्त विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है।

भवदीय,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-33/2017/2853(1)/78-2-2017 तद्दिनांक:

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-.

1- महालेखाकार, लेखा हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- उद्योग निदेशक, कानपुर।
4- प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
5- राज्य समन्वयक, सेंटर फार ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0
6- हेड, एसईएमटी,
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
अनु सचिव।

http:// hasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।